

10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी/2014 मुरैना R. 2257-1114

नरेन्द्र पुत्र हरिचरणलाल, जाति-बैरागी,
निवासी-ग्राम गुदायामाफी, तहसील-सबलगढ़
जिला-मुरैना

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. शान्तिस्वरूप शर्मा पुत्र गौरीशंकर, निवासी-पालपुर कॉलोनी, डाक बंगला रोड, सबलगढ़ मुरैना
2. ओमश्री बेवा रविन्द्र, निवासी-पेट्रोल पम्प के पास, अम्बेडकर कॉलोनी, सबलगढ़ मुरैना

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश तहसीलदार सबलगढ़ मुरैना के प्र. क्र. 07/13-14 अ-6, आदेश दि. 24.06.14 को पारित।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यह कि, विवादित आराजी सर्वे क्र. 111 रकबा 0.69 हेक्टर जो निगरानीकर्ता द्वारा वसीयतनामा दि. 28-04-2010 के द्वारा प्राप्त हुई, जिसे दबाव व जबरदस्ती बिना प्रतिफल के अनावेदिका के पति रविन्द्र से करा ली जिसे उसे उक्त आराजी अधिकार न होते हुये जबरदस्ती अनावेदक क्र. 1 ने करा ली जिसकी विभिन्न शिकायतें की व नामान्तरण में निगरानीकर्ता ने आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिसे दिनांक 24.06.14 को निरस्त कर दी, के खिलाफ यह निगरानी आवेदनपत्र समय सीमा में प्रस्तुत होने से स्वीकार किये जाने योग्य है :-

निगरानी के आधार :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता को प्राप्त सर्वे नं. 111


M

श्री अशोक कुमार शर्मा, को
दिनांक आज दि. 24-2-14 को
प्रस्तुत
क
रविन्द्र शर्मा
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
24/7/2014
(श्री अशोक कुमार शर्मा (23 वॉकेट))

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2257-एक/14 जिला-मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05.7.17	<p>आवेदक श्री नरेन्द्र उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M ✓